न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : 2021 / 5

–: वादी :– बनाम प्रतिवादी :–

1. निम्बाराम पुत्र हरीराम जाति जाट
निवासी रतकुड़िया
तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

1. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. श्री राकेश कुमार रलिया, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–30 / 06 / 2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम रतकुड़िया तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 37 खसरा नं. 1342 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1350 रकबा 1.5135 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1456 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1472 रकबा 1.0441 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1486 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1487 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1488 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1815 रकबा 1.1574 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरान 08 कुल रकबा 7.2924 हैक्टेयर व खाता संख्या 32 खसरा नं. 1907 रकबा 1.3355 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि आई हुई है, जिसको आगे दावे में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। सबूत में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 तक संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी वादी व अन्य सहखातेदार के नाम की संयुक्त खातेदारी हकूक की कब्जासुद भूमि है, जिस पर वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी भूमि है जो वादी की पुश्तैनी भूमि है जिसके खाता संख्या 37 जिसमें वादी का नाम पीराराम पुत्र हीराराम व खाता संख्या 32 जिसमें पीराराम पुत्र हरीराम दर्ज है लेकिन वादी के अन्य दस्तावेजों जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम निम्बाराम पुत्र हरीराम है। पीराराम पुत्र हीराराम जाति जाट का अन्य कोई व्यक्ति नही है। अभी हाल ही में वादी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबंदी हल्का पटवारी से लेने गया तब हल्का पटवारी ने बताया कि राजस्व रेकर्ड में तुम्हारा नाम पीराराम पुत्र हीराराम दर्ज है, जिसको दुरूस्त करवाना आवश्यक है। अतः राजस्व ग्राम रतकुड़िया तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 37 खसरा नं. 1342 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1350 रकबा 1.5135 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1456 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1472 रकबा 1.0441 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1486 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1487 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1488 रकबा 1.2788 [illegible] बारानी प्रथम, खसरा नं. 1815 रकबा 1.1574 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरान 08 [illegible] रकबा [illegible]924 हैक्टेयर व खाता संख्या 32 खसरा नं. 1907 रकबा 1.3355 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि [illegible] ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में पीराराम पुत्र हीराराम के स्थान पर निम्बाराम [illegible] कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार भोपालगढ़ ने जवाबदावा में निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम रतकुड़िया तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 37 खसरा नं. 1342 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1350 रकबा 1.5135 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1456 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1472 रकबा 1.0441 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1486 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1487 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1488 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1815 रकबा 1.1574 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरान 08 कुल रकबा 7.2924 हैक्टेयर व खाता संख्या 32 खसरा नं. 1907 रकबा 1.3355 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि में वादी अपना नाम राजस्व रेकर्ड में पीराराम पुत्र हीराराम के स्थान पर निम्बाराम पुत्र हरीराम नाम की खातेदारी घोषणा कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाना चाहता है। माननीय न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। वादी के वादपत्र पर प्रतिवादी द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गयी।

वादी के वादपत्र एवं जवाबदावा का अवलोकन करने पर पाया कि तनकीयात की आवश्कता नही है। वादी की ओर से रामप्रकाश पुत्र रामदीन आयु 63 वर्ष जाति जाट निवासी रतकुड़िया तहसील भोपालगढ़, ओमप्रकाश पुत्र हरिराम आयु 63 वर्ष जाति जाट निवासी रतकुड़िया तहसील भोपालगढ़, तेजाराम पुत्र हरीराम आयु 61 वर्ष जाति जाट निवासी रतकुड़िया तहसील भोपालगढ़ के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये गये तथा साक्ष्य वादी गवाह रामप्रकाश, ओमप्रकाश, तेजाराम के आदेशिका पर अंगूठा निशान/हस्ताक्षर करवाये गये। प्रतिवादी तहसीलदार भोपालगढ़ की ओर से सरकारी पैरोकार ने साक्ष्य वादी जिरह एवं साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करने का निवेदन किया। अतः साक्ष्य वादी जिरह व साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी। वादी वकील की बहस सुनी गयी।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संख्या 2076–2079 का अवलोकन किया गया जिसमें राजस्व ग्राम रतकुड़िया तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 37 खसरा नं. 1342 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1350 रकबा 1.5135 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1456 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1472 रकबा 1.0441 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1486 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1487 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1488 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1815 रकबा 1.1574 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरान 08 कुल रकबा 7. 2924 हैक्टेयर व खाता संख्या 32 खसरा नं. 1907 रकबा 1.3355 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक का अवलोकन किया। वादी की ओर से वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार ओमप्रकाश, तेजाराम के पेश साक्ष्य शपथपत्र का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया कि वादी निम्बाराम मेरा सगा भाई है तथा मेरे पिता हरीराम का फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय मेरे भाई का बोलचाल वाला नाम पीराराम पुत्र हीराराम दर्ज कर दिया है जबकि मेरे भाई के आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचयपत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेज में नाम निम्बाराम पुत्र हरीराम दर्ज है जो सही व सत्य है तथा पीराराम पुत्र हीराराम व निम्बाराम पुत्र हरीराम एक ही व्यक्ति है। पीराराम पुत्र हीराराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। उक्त वादग्रस्त आराजी में मेरे भाई का नाम न्यायालय हाजा द्वारा पीराराम के स्थान पर निम्बाराम व पिता का नाम हीराराम के स्थान पर हरीराम दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपति नही है, इसमें मैं पूर्ण रूप से सहमति प्रदान करता हूं। वादी की ओर से खेत के पाड़ौसी रामप्रकाश पुत्र रामदीन का पेश साक्ष्य शपथपत्र पेश का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया कि वादी के पिता हरीराम का फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय वादी का बोलचाल [illegible] दर्ज कर दिया है जबकि वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचयपत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, [illegible] कार्ड, [illegible] आधार कार्ड आदि दस्तावेज में नाम निम्बाराम पुत्र हरीराम दर्ज है जो सही व सत्य है तथा पीराराम [illegible] हीराराम व निम्बाराम पुत्र हरीराम एक ही व्यक्ति है। पीराराम पुत्र हीराराम [illegible] नही है। निम्बाराम मेरा खेत पाड़ौसी है तथा निम्बाराम व निम्बाराम के पिता [illegible] पहचानता हूं। पीराराम व निम्बाराम एक ही व्यक्ति है तथा निम्बाराम के पिता हीराराम व हरीराम एक ही व्यक्ति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21.07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वादी के शपथपत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथपत्र, जवाबदावा के अवलोकन एवं वकील वादी की बहस पर मनन उपरान्त पाया कि पीराराम व निम्बाराम एक ही व्यक्ति है तथा निम्बाराम के पिता हीराराम व हरीराम एक ही व्यक्ति है। पीराराम पुत्र हीराराम, पीराराम पुत्र हरिराम नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है तथा वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचयपत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेज में नाम निम्बाराम पुत्र हरीराम दर्ज है। अतः वादी का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम रतकुड़िया तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 37 खसरा नं. 1342 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1350 रकबा 1.5135 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1456 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1472 रकबा 1.0441 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1486 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1487 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1488 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1815 रकबा 1.1574 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरान 08 कुल रकबा 7.2924 हैक्टेयर व खाता संख्या 32 खसरा नं. 1907 रकबा 1.3355 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में पीराराम पुत्र हीराराम, पीराराम पुत्र हरिराम के स्थान पर निम्बाराम पुत्र हरीराम दर्ज किया जावे। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 30/06/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 13:21:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर
बईजलास :–श्री जवाहर राम चौधरी,आर0ए0एस0

–: वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. निम्बाराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी रतकुड़िया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा,
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 2021/5

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री राकेश कुमार रलिया अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रतकुड़िया तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 37 खसरा नं. 1342 रकबा 0.8903 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1350 रकबा 1.5135 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1456 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1472 रकबा 1.0441 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1486 रकबा 0.0728 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1487 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु., खसरा नं. 1488 रकबा 1.2788 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 1815 रकबा 1.1574 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरान 08 कुल रकबा 7.2924 हैक्टेयर व खाता संख्या 32 खसरा नं. 1907 रकबा 1.3355 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में पीराराम पुत्र हीराराम, पीराराम पुत्र हरिराम के स्थान पर निम्बाराम पुत्र हरीराम दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **30/06/2021** को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फर्रिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:07 IST
Reason: SelfAttested